

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 1979/श्रावण 31, 1901
No. 338] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 1979/SRAVANA 31, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

(एल. पी. अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1979

का. आ. 479(अ).—केंद्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक
विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ.
98(अ) उ. वि. वि. अ./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 से

निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 2 की मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

“(2) ऐसे उपक्रम जो विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं या समन्वयियों के या ऐसी कम्पनियों के, जिनकी बाबत समादत्त साधारण शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं या समन्वयियों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारित है या विदेशी राष्ट्रको या अनिवासी भारतीयों के संप्रत्यावर्तनीय आधार पर, स्वामित्वाधीन हैं।

[फा. सं. 12/20/एल. पी./79]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(L. P. Section)

NOTIFICATION.

New Delhi, the 22nd August, 1979

S.O. 479(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29-B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(13)/IDRA/29-B/73/1, dated the 16th February, 1973 namely :—

In the said notification, in item (ii) of Schedule II, after the words “non-resident Indians”, the words “on repatriable basis” shall be inserted.

[File No. 12(20)/LP/79]

B. ROY, Jt. Secy.